2025:CGHC:58727–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1090/2019

[अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 29/2015 (छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध हरेल कंवर उर्फ दरोगा उर्फ दोदरा) में दिनांक 10.08.2017 को पारित निर्णय से प्रोद्भूत]

हरेल कंवर उर्फ दरोगा उर्फ दोदरा, पिता चमार सिंह, आयु लगभग 58 वर्ष, निवासी भाड़ा (नगोई), थाना पाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

... **अपीलार्थी** /

(जमानत पर)

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः थाना पाली, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़)

... **प्रत्यर्थी**

[वाद– शीर्षक वाद सूचना प्रणाली से लिया गया है]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी की ओर से : श्री विवेक श्रीवास्तव, अधिवक्ता की ओर से श्री खिलेंद्र साहू, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी–राज्य की ओर से : श्री पंकज सिंह, पैनल अधिवक्ता

युगलपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

बोर्ड पर निर्णय

(03.12.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

(1) एकल अपीलार्थी ने इस न्यायालय के दाण्डिक अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अधीन यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण प्रकरण 29/2015 (छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध हरेल कंवर उर्फ दरोगा उर्फ दोदरा) में दिनांक 10.08.2017 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय की वैधता, विधिमान्यता और औचित्यता को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उसे

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और आजीवन कारावास तथा 2,000/– रुपये के अर्थदंड, अर्थदंड की राशि के संदाय में व्यतिक्रम पर, 02 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

(2) अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में यह है कि दिनाँक 09.01.2015 से 07 माह पूर्व, ग्राम भाड़ा (नगोई) में, जो थाना पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) के अधिकारिता में आता है, अपीलार्थी ने वयस्क पीड़िता (अ.सा.–06) के साथ उसकी इच्छा और सहमति के विरुद्ध लैंगिक संभोग किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई और उसने संतान को जन्म दिया, और इस प्रकार, उक्त अपराध कारित किया जाना कहा गया है।

(3) अभियोजन का प्रकरण आगे यह है कि पीड़िता (अ.सा.–06) का विवाह घटना के दिन से 15 वर्ष पूर्व हुआ था और चूंकि पीड़िता का पति उसके साथ क्रूरता करता था, इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया था और वह अपने भाई– सिंगीराम (अ.सा.–02) और भाभी समरीन बाई (अ.सा.–01) के साथ रहने लगी थी, और इसी बीच पीड़िता के पति की भी मृत्यु हो गई। अभियोजन का प्रकरण यह भी है कि दिनाँक 09.01.2015 से 7–8 माह पूर्व, जब पीड़िता (अ.सा.–06) जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल गई थी, तब यहाँ स्थित अपीलार्थी–अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया, उसे जंगल के पास स्थित अपने घर ले गया और उसके साथ लैंगिक संभोग/बलात्संग किया। इसके पश्चात, दिनाँक 09.01.2015 को, पीड़िता की भाभी समरीन बाई (अ.सा.–01) ने पहली बार देखा कि पीड़िता का पेट थोड़ा फूला हुआ था, जिसके कारण वह उसे पास के आंगनवाड़ी केंद्र ले गई, जहाँ उन्हें पता चला कि पीड़िता (अ.सा.–06) लगभग 06–07 माह की गर्भवती थी। तत्पश्चात, पीड़िता ने प्रकरण की सूचना पुलिस को दी, जिस पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/01) पंजीबद्ध की गई और अपराध की विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें प्रदर्श पी/05 के माध्यम से घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया। प्रदर्श पी/02 के माध्यम से आवश्यक सहमति प्राप्त करने के पश्चात, पीड़िता की चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/03) के अनुसार यह कहा गया कि कोई निश्चित अभिमत नहीं दी जा सकती क्योंकि पीड़िता सहयोग नहीं कर रही थी और इस कारण उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद, पुनः दिनाँक 24.01.2015 को डॉ. श्रीमती अलखनंदा तिर्की (अ.सा.–08) द्वारा पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उनकी एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/07) के अनुसार यह अभिमत दिया गया कि पीड़िता के शरीर पर बाह्य चोट के कोई निशान नहीं देखे गए और वह 32 सप्ताह की गर्भवती है। अभियुक्त–अपीलार्थी को प्रदर्श पी/24 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजा गया। अपीलार्थी की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी/06 है और इसके अतिरिक्त उसकी एक स्लाइड को भी प्रदर्श पी/08 के माध्यम से सीलबंद कर जब्त किया गया। तत्पश्चात, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और उचित विवेचना के बाद, सक्षम अधिकारिता के दाण्डिक न्यायालय में उक्त अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाद में विधि सम्मत सुनवाई और विचारण के लिए सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जिसमें अपीलार्थी ने अपने दोष से इनकार किया और यह कहते हुए अपना बचाव प्रस्तुत किया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है।

(4) अभियोजन ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए कुल 13 साक्षियों का परीक्षण कराया और 26 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया, जबकि अपीलार्थी–अभियुक्त ने अपने बचाव के समर्थन में न तो किसी साक्षी का परीक्षण कराया और न ही कोई दस्तावेज प्रदर्शित किया।

(5) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उसे इस निर्णय के प्रथम कण्डिका में उल्लेखित अनुसार दंडित किया, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी–अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

(6) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री खिलेंद्र साहू ने तर्क किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को उपरोक्त अपराध के लिए दोषसिद्धि पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि अभियोजन इसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। उन्होंने पुरजोर तर्क किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में 7–8 माह का विलंब हुआ है। अपीलार्थी को अपराध का दोषी ठहराने के लिए अभिलेख पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान प्रकरण में न तो चिकित्सकीय एवं फोरेंसिक परीक्षण कराया गया और न ही डीएनए प्रोफाइलिंग की गई, जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि अपीलार्थी ही पीड़िता (अ.सा.–06) के संतान का जैविक पिता है। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि पूर्णतः अन्यायोचित है, और इसलिए वर्तमान अपील स्वीकार किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अभियोजन ने निर्णायक प्रकृति के साक्ष्य प्रस्तुत करके अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन साक्षियों के कथनों और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री के आलोक में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए उचित रुप से दोषसिद्ध किया है। अतः, वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

(8) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना, उनके उपरोक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और अभिलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन किया।

(9) वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकृत है कि अपराध की तिथि पर पीड़िता (अ.सा.–06) वयस्क थी और उसका विवाह घटना के दिन से 15 वर्ष पूर्व हुआ था; और चूंकि पीड़िता का पति उसके साथ क्रूरता करता था, इसलिए उसने अपना ससुराल छोड़ दिया था और वह अपने भाई– सिंगीराम (अ.सा.–02) एवं भाभी– समरीन बाई (अ.सा.–01) के साथ रहने लगी थी। इसके अतिरिक्त, पीड़िता (अ.सा.–06) के कथन के कण्डिका–04 के अनुसार, भले ही उसने अपना ससुराल छोड़ दिया था, उसका पति उसके साथ नियमित संपर्क में था और उसके भाई के घर में उसके साथ सोया करता था। यद्यपि, अभियोजन का प्रकरण यह है कि अपीलार्थी द्वारा बनाए गए शारीरिक संबंधों के कारण पीड़िता (अ.सा.–06) गर्भवती हुई और उसने संतान को जन्म दिया, किंतु उक्त तथ्य को साबित करने हेतु कोई चिकित्सकीय या फोरेंसिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि, वर्तमान प्रकरण में यह प्रदर्शित करने के लिए कोई डीएनए प्रोफाइलिंग भी नहीं की गई है कि अपीलार्थी ही पीड़िता के संतान का जैविक पिता है। पीड़िता (अ.सा.–06) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/01) भी लगभग 07–08 माह के विलंब से दर्ज कराई गई है।

(10) ऐसी परिस्थितियों में, यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **विजयन विरुद्ध केरल राज्य**[1] में पारित निर्णय का उल्लेख करना लाभप्रद होगा, जिसमें माननीय न्यायाधिपतिगण ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे प्रकरणों में जहाँ केवल अभियोक्त्री का एकल परिसाक्ष्य उपलब्ध हो, अभियुक्त को दोषसिद्ध करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है, विशेष रूप से डीएनए प्रोफाइलिंग के अभाव में और जब अभियोक्त्री बलात्संग की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सात माह तक प्रतीक्षा करने का साहस कर सकती है; और कण्डिका–5 में निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

> "5. .....उन प्रकरणों में जहाँ केवल अभियोक्त्री का एकल परिसाक्ष्य उपलब्ध हो, अभियुक्त को दोषसिद्ध करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है, विशेष रूप से तब जब अभियोक्त्री बलात्संग की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सात माह तक प्रतीक्षा करने का साहस कर सकती है। यह अभियुक्त को पूरी तरह से असहाय छोड़ देता है। यदि अभियोक्त्री ने घटना के तुरंत बाद शिकायत दर्ज कराई होती, तो बलात्संग के निशानों को दर्शाने के लिए चिकित्सकीय रिपोर्ट या अभियोक्त्री के शरीर पर किसी अन्य चोट जैसे कुछ सहायक साक्ष्य उपलब्ध होते। यदि अभियोक्त्री ने स्वेच्छा से स्वयं को लैंगिक संभोग के लिए समर्पित कर दिया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सात माह तक प्रतीक्षा की है, तो ऐसे एकल परिसाक्ष्य पर दोषसिद्धि करना अत्यंत जोखिमपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, यह ज्ञात करने हेतु कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था कि क्या संतान का जन्म बलात्संग की उक्त घटना के परिणामस्वरूप हुआ था और क्या अपीलार्थी–

1 (2008) 14 SCC 763

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त उक्त संतान के लिए जिम्मेदार था। किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में, अभियुक्त को दोषसिद्ध करना असुरक्षित है। इसलिए, हमारी यह अभिमत है कि अपीलार्थी–अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध करने में विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण संधारणीय नहीं है। फलस्वरूप, हम विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को अपास्त करते हैं और भा.द.सं. की धारा 376 के अधीन अपीलार्थी–अभियुक्त की दोषसिद्धि और दंडादेश को अभिखण्डित करते हैं। यदि किसी अन्य प्रकरण में अभियुक्त की आवश्यकता न हो, तो उसे अभिरक्षा से अविलंब रिहा किया जाए।"

(11) **विजयन** (पूर्वोक्त) के निर्णय के आधार का आगे **प्रकाश चंद विरुद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य**[2] में भी अनुमोदन सहित अनुसरण किया गया है।

(12) वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, विधि के ऊपर उद्धृत सिद्धांतों के आलोक में यह सुस्पष्ट है कि यह साबित करने हेतु कोई चिकित्सकीय या फोरेंसिक साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा पीड़िता (अ.सा.–06) के साथ बनाए गए शारीरिक संबंधों के कारण वह गर्भवती हुई और उसने संतान को जन्म दिया; और इसके अतिरिक्त, यह ज्ञात करने हेतु कोई डीएनए प्रोफाइलिंग भी नहीं की गई है कि क्या पीड़िता के संतान का जन्म संबंधित बलात्संग की घटना के परिणामस्वरूप हुआ था और क्या अपीलार्थी–अभियुक्त उक्त संतान के लिए जिम्मेदार है। साथ ही, पीड़िता (अ.सा.–06) द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/01) भी लगभग 07–08 माह के विलंब से दर्ज कराई गई है, इसलिए उपरोक्त कारणों से, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दंडित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, और वह संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोप से दोषमुक्त होने का पात्र है। हम तदनुसार यह अभिनिर्धारित करते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी पहले से ही जमानत पर है, उसे अभ्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 क में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत उसके जमानत बंधपत्र छह माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेंगे।

(14) फलस्वरूप, यह दाण्डिक अपील उपरोक्त दर्शित सीमा तक **स्वीकार** की जाती है।

(15) इस आदेश की एक सत्यापित प्रति मूल अभिलेख के साथ विचारण न्यायालय को आवश्यक सूचना एवं कार्यवाही ,यदि कोई हो, हेतु प्रेषित की जाए।

2 (2019) 5 SCC 628

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/–
(संजय कुमार जायसवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur